पुस्तकालय

3298
17/4/13 (2)

सत्यमेव जयते

असंशोधित

3 APR 2013

बिहार विधान–सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग–1 कार्यवाही प्रश्नोत्तर)

बि०स०मु०(एल०ए०वादवृत्त),183–मो०एल०–1,500

प्रतिवेदन शाखा
गै०स०प्र०सं० १०५७ तिथि १७/०४/13

बी०आर०जी०एफ० में दो फीट, अढ़ाई फीट मिट्टी भरने के बजाय बिना मिट्टी भरे उसको पी०सी०सी० कर दिया गया । अगर इतना असत्य रिपोर्ट दिया जायेगा तो फिर इस लूट को कैसे रोका जायेगा, हम चाहते हैं कि पुनः किसी दूसरे एजेंसी से जांच करायी जाय । क्या माननीय मंत्री जी दूसरे एजेंसी से जांच कराना चाहते हैं ?

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिले के लिए नामित नोडल पदाधिकारी से शीघ्र जांच करा दी जायेगी ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : अध्यक्ष महोदय, हम आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहते हैं कि बी०आर०जी०एफ० में लखीसराय विधान सभा के अंतर्गत कमिश्नर स्तर से जांच करायी जाय ।

अध्यक्ष : कमिश्नर से कहते हैं जांच कराने के लिए ।

श्री विजय कुमार सिन्हा : कमिश्नर स्तर से जांच करायी जाय क्योंकि जिला में मिलकर के खानापूर्त्ति किया जाता है ।

(व्यवधान जारी)

अध्यक्ष महोदय, बी०आर०जी०एफ० के अन्दर में इस तरह से खुल करके प्राक्कलन के विपरित तकनीकी तौर पर गड़बड़ी है और मैंने अपने रामगढ़ प्रखंड के अन्दर खुद जाकर देखा है, ऐजनी पंचायत में जाकर देखा है और उसके बाद वहां के पदाधिकारी गलत रिपोर्ट दे दें तो हम चैलेंज करते हैं कि कमिश्नर स्तर के पदाधिकारी से जांच करायें और मैं भी उसमें उपस्थित रहकर बता दूं कि वहां के बी०डी०ओ० के मौजुदगी में हमने जांचा है ।

श्री नीतीश मिश्रा, मंत्री : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य की भावना के अनुरूप जिस बी०आर०जी०एफ० योजना की जो चर्चा कर रहे हैं, उसकी जांच जिलाधिकारी से करा दी जायेगी ।

अध्यक्ष : ठीक है, डी०एम० से ।

(व्यवधान जारी)

तारांकित प्रश्न सं०-३४१६, मा० सदस्य श्री राम नरेश प्रसाद यादव

श्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा, मंत्री : महोदय, खंड-१- उत्तर स्वीकारात्मक है ।

खंड-२- उत्तर आंशिक रूप से स्वीकारात्मक है ।

वस्तुस्थिति यह है कि जल संसाधन विभाग के अधिसूचना सं०-४४४५ दिनांक २९.०६.१२ द्वारा सेवा प्राप्त कार्यपालक अभियंताओं द्वारा माह जुलाई, २०१२ में योगदान किया गया है । विभागीय अधिसूचना सं० - १७८२ दिनांक २०.०३.१३ के द्वारा उनका पदस्थापन किया जा चुका है ।

खंड-३- कंडिका-२ में स्थिति स्पष्ट कर दी गयी है।

श्री राम नरेश प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, १८ महीना पहले कार्यपालक अभियंता की सूची गयी थी तो १८ महीने विलम्ब करने का क्या औचित्य है ? अध्यक्ष महोदय, सदन में प्रश्न आने के बाद २०.०३ को अधिसूचना जारी की गयी है तो १८ महीने विलम्ब करने का क्या औचित्य है, यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ ?

श्री अवधेश प्रसाद कुशवाहा, मंत्री · महोदय, वीडियो कान्फ्रेसिंग के दौरान मुख्य सचिव द्वारा निदेश दिया गया था कि प्रत्येक जिला में यथासंभव एक कार्यपालक अभियंता को पदस्थापित किया जाय ताकि जिला पदाधिकारी से समन्वय हो सके । जल संसाधन विभाग के अभियंताओं की सेवा उपलब्ध कराने के आश्वासन के आलोक में जल संसाधन विभाग से नव सेवा प्राप्त अभियंताओं का पदास्थापन तत्काल नहीं किया गया । मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में इस विभाग द्वारा यह योजना बनायी गयी कि जल संसाधन विभाग द्वारा विभाग में रिक्ति के अनुरूप अभियंताओं की सेवा प्राप्त हो जाने पर समेकित रूप से जिलावार, प्रमंडलवार स्थांतरण, पदस्थापन किये जायेंगे । जल संसाधन विभाग के आश्वासन के बावजूद अभियंताओं की सेवा प्राप्त नहीं होने के कारण नव सेवा प्राप्त कार्यपालक अभियंताओं के पदस्थापन में विलम्ब हुआ । जल संसाधन विभाग से सेवा प्राप्त एवं विभाग में कार्यरत अभियंताओं के स्थांतरण/पदस्थापन के प्रस्ताव में मुख्य सचिव द्वारा दिये गये निर्देश के आलोक में जहां नल कूप प्रमंडल, लघु सिंचाई प्रमंडल का कार्यालय एक ही जिला में, वहां एक ही कार्यपालक अभियंताओं को दोनों प्रमंडलों का प्रभार दिया गया । कार्य हित में अकार्य कोटि के अभियंताओं को भी कार्य कोटि में पदस्थापन किया गया, अतः जल संसाधन विभाग से सेवा प्राप्त कार्यपालक अभियंताओं के पदस्थापन में विलम्ब का कारण उक्त वर्णित स्थिति से स्पष्ट हो जाती है । विभागीय अधिसूचना संख्या- १७८२ दिनांक २०.३.१३ द्वारा जल संसाधन विभाग से सेवा प्राप्त एवं अन्य कार्यपालक अभियंताओं का पदस्थापन कर दिया गया है ।

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी, नेता विरोधी दल : महोदय, मेरा व्यवस्था का सवाल है....

(व्यवधान)

ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे बिहार विधान सभा नहीं चलेगा ।

अध्यक्ष : शांति-शांति ।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,ने०वि०द० : ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष : शांति-शांति। माननीय सदस्यगण, बैठें, स्थान ग्रहण कीजिए, बैठिए।

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,ने०वि०द० : महोदय, ये जो बिहार विधान सभा की प्रक्रिया.....

(व्यवधान)

(इस अवसर पर आर०जे०डी० के माननीय सदस्यगण सदन के वेल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

(व्यवधान)

श्री अब्दुल बारी सिद्दिकी,ने०वि०द० : नहीं चाहते हैं तो होगा.....व्यवधान।

अध्यक्ष : शांति-शांति।

तारांकित प्रश्न सं०-३४१७-श्री कौशल यादव-अनुपस्थित।

तारांकित प्रश्न सं०-३४१८-श्री विनोद कुमार सिंह

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि :- कटिहार जिलान्तर्गत झौआ दिल्ली दिवानगंज महानन्दा बांया तटबंध (कुल लंबाई ३१.०३६ कि०मी०) पर आजमनगर प्रखंड में आजमनगर (५.९० कि०मी०) से दमदमा (११.०८५ कि०मी०) तक ५.१८५ कि०मी० की लंबाई में बांध के टॉप पर पथ निर्माण प्र०,कटिहार द्वारा सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था, जो जीर्णशीर्ण अवस्था में है। पथ निर्माण विभाग द्वारा इस पथ का मरम्मति एवं सम्पोषण करना है।

(व्यवधान)

श्री विनोद कुमार सिंह : अध्यक्ष महोदय, शोरगुल में आवाज सुनाई नहीं दिया, बावजूद हम कुछ जानकारी देना चाहेंगे माननीय मंत्री जी को कि आजमनगर से लेकर दमदमा तक ८ कि०मी० की लंबी सड़क है और वह मात्र ८ फीट चौड़ी सड़क है जो बिलकुल जीर्णशीर्ण पड़ा हुआ है और ८-१० सालों से उसमें एक मुट्ठी मिट्टी और गिट्टी का भी उपयोग नहीं किया गया है। इसलिए आपके माध्यम से हम चाहते हैं अध्यक्ष महोदय कि माननीय मंत्री जी, कब तक उस सड़क का चौड़ीकरण तथा मरम्मति का कार्य कराने का विचार रखते हैं ?

(व्यवधान)

श्री विजय कुमार चौधरी,मंत्री : महोदय, जैसाकि हमने बताया कि यह काम पथ निर्माण विभाग के द्वारा कराया गया था और ये इनका अभी डिफेक्ट लायबिलीटी पीरियड २५ मार्च, २०११ को समाप्त हो गया है और इस कार्य के लिए जो सड़क गड़बड़ हालत में है उसको सुधारने के लिए जो सूचना है पथ निर्माण विभाग के द्वारा उसके तहत मई तक इसका सुधार कराने की योजना है।

(व्यवधान)